अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 530(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 20 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने खैलशंकर दुर्लभजी अवेदना आश्रम ट्रस्ट, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान द्वारा गंभीर रूप से बीमार पड़े मरीजों की मुफ्त देखभाल तथा बुजुर्ग लोगों के लिए दैनिक देखभाल केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 बिस्तर वाले खैलशंकर दुर्लभ जी अवेदना आश्रम के निर्माण, साजसज्जा और उसे चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 395 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और जिसे बाद में 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 851 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैलशंकर दुर्लभजी अवेदना आश्रम ट्रस्ट, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान द्वारा गंभीर रूप से बीमार पड़े मरीजों की मुफ्त देखभाल तथा बुजुर्ग लोगों के लिए दैनिक देखभाल केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 बिस्तर वाले खैलशंकर दुर्लभ जी अवेदना आश्रम के निर्माण, साजसज्जा और उसे चलाने की निर्माण परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के

लिए मात्र पांच करोड़ पचास लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 121-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)